न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
प्रकरण संख्याः- 103/2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. मोहनराम पुत्र पेमाराम 2. किसनी पुत्री पेमाराम जाति जाट निवासी खेंगासर तहसील बाप जिला जोधपुर		01. गोविन्दराम पुत्र छोगाराम 02. तेजाराम पुत्र छोगाराम 03. दीपाराम पुत्र छोगाराम 04. पेम्पों पत्नि छोगाराम जाति जाट निवासी खेंगासर 05. समसदीन पुत्र मीरे खां 06. मोहम्मद सरीफ पुत्र मीरे खां 07. उमर खांन पुत्र इलमदीन 08. वीरों पत्नि रहमतुल्ला 09. समसदीन पुत्र दीनू खां जाति मुसलमान नि. घंटियाली तहसील बाप जिला जोधपुर 10. शाखा प्रबन्धक एस. बी. आई. शाखा कानसिंह की सिड 11. श्रीमान तहसीलदार, बाप

उपस्थित :-

1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. अप्रार्थी सं. 05 सरकारी पैरोकार स्वंय उपस्थित

निर्णय

दिनांक :- 13.06.2023

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] 111,128 [illegible] भू-राजस्व अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी सं. 1 की [illegible]दारी [illegible]धिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 752/9 रकबा 1.3[illegible] हैक्टेयर तथा [illegible] की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 752/10 रकबा 1.6[illegible] हैक्टेयर सरहद मौजा खेंगासर पटवार क्षेत्र चारू तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:45 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी-बाप

पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर अपनी रहवासीय ढाणीयां, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणियों में प्रार्थीगण अपने- अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है तथा प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि की भूमि पैमाईश करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार साहब (भू.अ.) बाप ने क्रमांक 62 दिनांक 25.06.2021 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश पटवारी हल्का को दिये। पटवारी हल्का उक्त आदेश की पालना में दिनांक 28.03.2022 को मौके पर जाकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 की उपस्थिति में उक्त भूमि की भूमि पैमाईश मुस्तकिल बिन्दू से की तथा मौका फर्द तैयार कर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को सुनाया गया और उक्त फर्द नियमानुसार अप्रार्थी सं. 11 के कार्यालय में जमा करवा दी। प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि पर पैमाईश अनुसार अपनी हद में खूंटे रोपने लगे तो अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 ने प्रार्थीगण को खूंटे रोपने से मना कर दिया। इसलिये यह पत्थर गड्ढी हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण जब पैमाईश अनुसार अपनी भूमि के चारों तरफ खूंटे रोपने लगे तो खसरा नम्बर 752/5 रकबा 1.6754 हैक्टेयर भूमि के खातेदार अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4, खसरा नम्बर 752/6 रकबा 5.3499 हैक्टेयर भूमि के खातेदार अप्रार्थी सं. 5, खसरा नम्बर 752/4 2.1044 हैक्टेयर भूमि के खातेदार अप्रार्थी सं. 6, खसरा नम्बर 752 रकबा 9. 4453 हैक्टेयर के खातेदार अप्रार्थीगण सं. 7 ता 9 ने वर्तमान में पैमाईश अनुसार खूंटे रोपने से मना कर दिया और पैमाईश को मानने से इन्कार कर दिया तथा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 9 ने प्रार्थीगण को धमकी दी की हम पैमाईश अनुसार खूंटे रोपने नहीं देंगें। अभी प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की उक्त भूमि में बरसात के मौसम में काश्त करते है तब उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की गई काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है। इसलिये प्रार्थीगण अपनी खातेदारी अधिकारों की बाबत भूमि खसरा नम्बर 752/9 रकबा 1.3436 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 752/10 रकबा 1.[illegible] हैक्टेयर भूमि की पैमाईश दिनांक 28.03.2022 के अनुसार प्रार्थीगण अपनी हद में पत्थर गड्ढी करवाने के अधिकारी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:45 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी बाप

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिमेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 11 सरकारी पैरोकार ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि ग्राम खैंगासर पटवार क्षेत्र चारवू तहसील धंटियाली के खसरा नम्बर 752/10 रकबा 1.3436 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 752/9 रकबा 1.6754 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी प्रार्थीगण की हद में पैमाईश फर्द दिनांक 28.03.2022 के अनुसार प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण को सूचित करते हुए किया जाना उचित है। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम खैंगासर पटवार क्षेत्र चारवू तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 752/9 रकबा 1.3436 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 752/10 रकबा 1.6754 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने-अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर अपनी अलग-अलग रहवासीय ढाणियां, पानी के टांका, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये प्रार्थीगण दिनांक 28.03.2022 को हुई भूमि पैमाईश अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2076-2079, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। ग्राम ग्राम खैंगासर पटवार क्षेत्र चारवू तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 752/9 रकबा 1.3436 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 752/10 रकबा 1.6754 हैक्टेयर भूमि के प्रार्थीगण खातेदार है, प्रार्थीगण ने दिनांक 28.03.2022 को उक्त भूमि की नियमानुसार पैमाईश करवाई थी जो मौका फर्द से प्रमाणित होता है। रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी की भूमि में पत्थर गड्ढी करवाने का पूरा-पूरा अधिकार है, सरकारी पैरोकार ने भी उक्त भूमि के पत्थर गड्ढी किये जाने की अनुशंषा की है। इसलिये प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में अपनी हद में पत्थर गड्ढी करवाने के अधिकारी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:45 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी-बाप

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम खेंगासर पटवार क्षेत्र चाखू तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 752/9 रकबा 1.3436 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 752/10 रकबा 1.6754 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 28.03.2022 के अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुये पत्थर गड्ढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार घंटियाली उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गड्ढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:45 IST
Reason: SelfAttested